रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2002/ज्येष्ठ 16, 1924

No. 118] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2002/JYAISTHA 16, 1924

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2002

सं. एन-10/16/2001-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1)इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [कनिष्ठ सुरक्षा पद] सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियोग:- ये विनियम इसके साथ संलग्न संबंधित अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदो के लिए लागू होंगे।

3. प्रारंभिक संघटन:- इन विनियमों के लागू होने से पूर्व सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-11,ग्रेड-111, सहायक सुरक्षा अधिकारी, प्रधान सुरक्षा गार्ड (मुख्यालय) और प्रधान सुरक्षा गार्ड के पदों को नियमित आधार पर धारण करने वाले अधिकारी इन विनियमों का प्रावधानों अनुसार नियुक्त माने जाएंगे। इन विनियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा को अगले ग्रेड में प्रोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा।

4. पद संख्या और वेतनमान-

उक्त पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होगें, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि -

उपर्युक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 4 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

6. निरर्हता -

वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेकर किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

7. शिथिल करने की शक्ति -

जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा किसी वर्ग अथवा श्रेणी के अथवा व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

8. व्यावृति:-

इन विनियमों में कोई भी बात केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

9. व्याख्या:-

यदि इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसके बारे में निर्णय निगम द्वारा लिया जाएगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-2	12 * (2001) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	5000 -150-8000/- रुपए	चयन एवं वरीयता	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं	दो वर्ष	50 % प्रोन्नति द्वारा और 50 % प्रतिनियुक्ति पर	1.ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा वाले सहायक सुरक्षा अधिकारी ग्रेड- 3 से प्रोन्नति द्वारा। 2 राज्य.पुलिस अथवा केन्द्रीय पुलिस संगठन में कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले सहायक उपनिरीक्षक के रैंक के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के द्वारा। टिप्पणी:।.प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पणी:2.परन्तु प्रतिनियुक्ति के मामले में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है।	1.उपमहा-निदेशक (सुरक्षा)-अध्यक्ष 2.संबंधित केन्द्र का केन्द्र निदेशक सदस्य 3.संबंधित केन्द्र का केन्द्र अभियंता-सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
सुरक्षा अधिकारी ग्रेड- 3	2 * (2001) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	4000-100-6000/- रुपए	चयन एवं वरीयता	50 वर्ष से अधिक नहीं टिप्पणी-1.आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (अंडेमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) टिप्पणी-2.जिन पदों पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है उनके संबंध में प्रत्येक मामले में आयु सीमा निधार्रित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	सेवानिवृत/कार्यमुक्त सेना कार्मिक (जो सुबेदार या सुबेदार मेजर (कार्यपालक) रैंक के अधिकारी थे) जिनमें मानक लेफ्टिनेंट/कैप्टन और नौसेना एवं वायुसेवा के समकक्ष रैंकों के अधिकारी शामिल हैं ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरंचना
7	8	9	10	11
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती जिसके न होने पर प्रोन्नति और दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति	1.ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले सहायक सुरक्षा आधेकारियों में से प्रोन्नति 2. पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक रैंक अथवा समकक्ष रैंक के अधिकारियों की प्रतिनुयुक्ति टिप्पणी-1. प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पणी-2. परन्तु प्रतिनुयुक्ति के मामले में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है ।	1. उपमहानिदेशक (सुरक्षा)- अध्यक्ष 2. संबंधित केन्द्र का केन्द्र निदेशक - सदस्य 3.संबंधित केन्द्र का केन्द्र अभियंता- सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
सहायक सुरक्षा अधिकारी	1 * (2001) कार्यभार के आधार पर परिवतर्न किया जा सकता है ।	4000-100-6000/- रुपए	चयन एवं वरीयता	30 वर्ष से अधिक नहीं **टिप्पणी-1**.आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (अंडेमान निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को छोड़कर) टिप्पणी-2.जिन पदों पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है उनके संबंध में प्रत्येक मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	सेवानिवृत/कार्यमुक्त सेना कार्मिक (जो नायबसुबेदार (कार्यपालक) रैंक के अधिकारी थे) अथवा नौसेना एवं वायुसेवा के समकक्ष रैंक के अधिकारी हों ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती को पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरंचना
7	8	9	10	11
नहीं। परन्तु प्रतिनियुक्ति के मामले में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को अधिकतम आयु 55 वर्ष होगी।	दो वर्ष	सीधी भर्ती जिसके न होने पर प्रोन्नति और दोनों के न होने पर प्रतिनियुक्ति	**प्रोन्नतिः** ग्रेड में 8 वर्ष की अर्हक सेवा वाले प्रधान सुरक्षा गार्डो में से।	1. उपमहानिदेशक (सुरक्षा)- अध्यक्ष 2. संबंधित केन्द्र का केन्द्र निदेशक- सदस्य 3. संबंधित केन्द्र का केन्द्र अभियंता- सदस्य

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
प्रधान सुरक्षा गार्ड (मुख्यालय)	2 * (2001) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	3050-75-3950-4590/- रुपए	चयन एवं वरीयता	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरंचना
7	8	9	10	11
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर पुर्ननियुक्ति द्वारा	1. **प्रोन्नतिः** ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा वाले सुरक्षा गार्डो में से 2. **प्रतिनियुक्तिः** (1) प्रधान सुरक्षा गार्ड रैंक अथवा केन्द्र या राज्य पुलिस संगठनों में हवलदार या समकक्ष रैंक के कार्मिक । **(2)** केन्द्र या राज्य पुलिस संगठनों में 8 वर्ष की सेवा वाले सिपाही रैंक के कार्मिक । **टिप्पणी:**1. प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसमें उसी संगठन/विभाग में नियुक्ति से तत्काल पूर्व धारण किए गए अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है । **टिप्पणी:2. परन्तु प्रतिनुयुक्ति के मामले में अधिकतम आयु सीमा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 55 वर्ष है**	1.उपनिदेशक (प्रशासन) (मुख्यालय) - अध्यक्ष 2.अवर सचिव (प्रशासन) योजना आयोग - सदस्य 3.उपनिदेशक (सुरक्षा) या समकक्ष रैंक का अधिकारी- सदस्य

1837GI/12-2

Niyam

			पुनर्नियोजनः सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त सैन्य कार्मिक अथवा पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक जिनका रैंक हवलदार का रहा हो अथवा सेना,नौसेना और वायुसेना में समकक्ष रैंक रहा हो और जो निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हों ; (क) आयु - 42 वर्ष से कम हो (ख) चिकित्सा श्रेणी- ' ए'(ए वाई ई) (ग) चरित्र - बहुत अच्छा/ अनुकरणीय (घ) शारीरिक मापदंड - (1) लम्बाईः 165 से.मी.(पहाड़ी व्यक्तियों या जनजातीय व्यक्ति के लिए 160 से.मी. तक छूट दी जा सकती है)(2) छातीः बिना बढ़ाए 81 से.मी.जिसे 5 से.मी. तक बढ़ाया जा सके । (ङ) सेवा में व्यवधान 2 वर्ष से अधिक न हो ।	

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6
प्रधान सुरक्षा गार्ड	6 * (2001) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	2750-70-3800-75-4400/- रुपए	चयन एवं वरीयता	25 से 40 वर्ष के बीच **टिप्पणी**:प्रत्येक मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की अंतिम तारीख वह तारीख होगी जो भारत में(अंडेमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप को छोड़कर) अभ्यार्थियों से आवेदन- पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।	1.किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से मैट्रिक परीक्षा पास 2.खेलों,खेल-कूद और एथलीट की प्रतिस्पर्धाओं में अपने जिले/राज्य का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हो न्यूनतम शारीरक मापदण्डः (1) ऊंचाई - 167.64 से.मी. छाती - 81.28 सेमी.(जिसे 5 सेमी. तक बढ़ाया जा सके) (2) दृष्टि (बिना चश्मे के अथवा चश्मा लगाकर) - दूर की दृष्टिः एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9, पास की दृष्टिः एक आंख में 0.6 और दूसरी आंख में 0.8 (3) अभ्यर्थी के घुटने मिलने नहीं चाहिएं और पैर समतल नहीं होने चाहिएं । अथवा सेना के सेवानिवृत/कार्यमुक्त कार्मिक जिनका हवलदार (कार्यपालक) का रैंक रहा हो अथवा नौसेना और वायुसेना के समकक्ष रैंक रहा हो ।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
7	8	9	10	11
नहीं ।	दो वर्ष	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50 % विभागीय प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नतिः ग्रेड में 5 वर्ष की अर्हक सेवा वाले प्रसार भारती में कार्यरत सुरक्षा गार्डों में से ।	1.महानिदेशालय के प्रतिनिधि के रुप में उपमहानिदेशक (सुरक्षा)- अध्यक्ष 2. संबंधित केन्द्र का केन्द्र निदेशक- सदस्य 3.संबंधित केन्द्र का केन्द्र अभियंता- सदस्य

के. एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन III/IV/163/2002-असाधा.]

PRASAR BHARATI
(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION
New Delhi, the 5th June, 2002

No. N-10/16/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by Section 33 read with Sub-section (2) of Section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement :- (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Security posts) Service Regulations, 2002.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :- These regulations shall apply to the post specified in column 1 of the relevant schedule to the regulations.

3. Initial Constitution :- Before commencement of these regulations, the officers holding the posts of security Officer Grade II, Grade III, Assistant Security Officer, Head Security Guard (Headquarter) and Head Security Guard on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these regulations. The service rendered by them before the commencement of these regulations shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion to the next grade.

4. Number of posts and scales of pay :- The number of posts and their scales of pay shall be as specified in columns 2 and 3 of the Schedule annexed hereto.

5. Method of Recruitment, Age limit and other Qualifications etc. :- The method of recruitment of the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns 4 to 11 of the said Schedule.

6. Disqualification :- No person-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax :- Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category or persons, with the previous approval of the Central Government.

8. Savings :- Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the scheduled tribes and other special categories or persons in accordance with orders issued by the Central Government, from time to time in this regard.

9. Interpretation:- If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Corporation.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grades from which promotion/ Deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Security Officer Grade II	12* (2001) *subject to variation dependant on workload	Rs. 5000-150-8000	Selection –cum-Seniority	Not applicable	Not applicable	No	Two years	50% by promotion and 50% by deputation	(i) Promotion from amongst the Assistant Security Officer Grade III with 8 years in the grade. (ii) Deputation of the officers of the rank of Assistant Sub-Inspector of Police with atleast 5 years service in the State Police or Central Police Organisation *Note 1* :The period of deputation ordinarily not to exceed 3 years. *Note 2*: However in case of deputation maximum age limit is 55 years as on the date of receipt of application.	(i) Deputy Director General (Security)-Chairman (ii) Station Director of station concerned - Member (iii)Station Engineer of station concerned - Member

Name of post	Number of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grades from which promotion/ Deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Security Officer Grade III	2* (2001) *subject to variation dependant on workload	Rs. 4000-100-6000	Selection-cum-Seniority	Not exceeding 50 years. <u>Note 1</u>: The crucial date for determining the age limit will in each case be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep). <u>Note 2</u>: In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the name.	Retired/Released Army personal (who held the rank of Subedar or Subedar Major (Executive) including honorary Lieutenants/ Captains and equivalent ranks in the Navy and Air Force.	Not applicable.	Two years	Direct recruitment failing which by promotion, failing both by deputation	(i) Promotion from amongst the Assistant Security Officer with not less than 5 years qualifying service in the grade. (ii)Deputation of officers of the rank of Assistant Sub-Inspector of Police or equivalent. *<u>Note 1</u>*: The period of deputation ordinarily not to exceed 3 years *<u>Note 2</u>*: However in case of deputation maximum age limit is 55 years as on the date of receipt of application.	(i) Deputy Director General (Security)- Chairman (ii) Station Director of station concerned - Member (iii)Station Engineer of station concerned - Member

Name of post	Number of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grades from which promotion/ Deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Assistant Security Officer	1* (2001) *subject to variation dependant upon workload.	Rs. 4000-100-6000	Selection –cum-Seniority	Not exceeding 30 years *Note I*: The crucial date for determining the age limit will in case be the closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). *Note II* : In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Retired/ Released Army Personnel who held the rank of Naib Subedar (Executive) or equivalent rank in the Navy and Air Force	No. However in case of deputation maximum age limit is 55 years as on date of receipt of application.	Two years	Direct recruitment failing which by promotion, failing both by deputation	**Promotion** : From amongst the Head Security Guards with 8 years qualifying service in the grade	1. Deputy Director General (Security)- Chairman 2. Station Director of station concerned – Member 3. Station Engineer of Station concerned- Member

Name of post	Number of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Head Security Guard (Headquarters)	*2 (2001) * subject to variation dependant upon workload	Rs. 3050-75-3950-4590	Selection-cum - Seniority	Not applicable	Not applicable	No.	Two years	By promotion failing which by deputation failing both by re-employment	1. **Promotion :** From amongst Security Guards with eight years service in the grade. 2. **Deputation :** (i) Personnel of the rank of Head Security Guard or Havildar or holding equivalent ranks in Central or State Police Organiations (ii) Personnel of the rank of constables with 8 years service in Central or State Police Organisations. *Note 1*: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same organization/department shall ordinarily not exceed three years.	1. Deputy Director Administration (Headquarters) – Chairman 2. Under Secretary (Administration), Planning Commission – Member 3. Deputy Director (Security) or an officer of equivalent rank - Member

									Note 2: However in case of deputation maximum age limit is 55 years as on date of receipt of application. 3. **Re-employment :** Retired/released army personnel or members of para-military Forces, who have held the rank of Havildar or holders of equivalent ranks in the Army, Navy and Air-Force and who fulfil the following requirements: (a) Age ....below 42 years (b) Medical Category....'A' (AYE) (c) Character....Very good/Exemplary (d) Physical standards (i) Height 165 cm (Relaxable) up to 160 cm for Hillmen or Tribeman) (ii) Chest 81 cm unexpanded with expansion of 5 cm (e) Break in service not more than 2 years	

Name of post	Number of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum - Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Head Security Guard	6* (2001) *subject to variation dependant upon workload.	Rs. 2750-70-3800-75-4400	Selection-cum - Seniority	Between 25 and 40 years. *Note* : The crucial date for determining the age limit will in each case, be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(1) Matriculation of a recognized educational institution. (2) Credit of representing one's District/State in games, sports and athletics. Minimum physical standards: (i)Height…167 64cms. Chest…..81.28 cms. (with an expansion of 5 cms.) (ii) Eye sight (with or without glasses): Distant vision – 6/6 in one eye and 6/9 in the other eye; Near Vision – 0.6 in one eye and 0 8 in the other eye,	No	Two years	50% by direct recruitment 50% by departmental promotion	**Promotion** : From amongst the Security Guards on the strength of Prasar Bharati with 5 years' qualifying service in the grade.	(i) Deputy Director General (Security) as a representative of Director General - Chairman (ii) Station Director of station concerned - Member (iii)Station Engineer of station concerned - Member

					(iii) Candidates should not have knock knees or flat feet. or Retired/Released Army personnel who held the rank of Havildar (Executive) or holder of equivalent rank in the Navy and Air Force					

K. S. SARMA, Executive Member
[ADVT III/IV/163/2002-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.